# अध्याय 5
# सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने का प्रभाव

## 5.1 लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए संविदाओं में संविदा श्रमिक के लिए कम भुगतान/भुगतान न करने/कम अंशदान/अंशदान न करने का प्रभाव

संविदा श्रमिक के हितों की रक्षा से संबंधित विभिन्न सांविधिक कानूनों के प्रावधान के माध्यम से मूल नियोक्ता को सौंपे गई जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, सभी संविदाओं के अनुमानों में अन्य सभी मदों के साथ श्रम घटक का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। सांविधिक कानूनों के पालन में शामिल लागत को ध्यान में रखते हुए अनुमान के श्रम घटक का आकलन किया जाना चाहिए। इनमें संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 इत्यादि शामिल हैं।

संविदा के अनुमानों की समीक्षा से पता चला कि रेलवे प्रशासन ने विभिन्न संविदाऑ में आवश्यक श्रम का आंकलन नहीं किया। जहाँ संविदाओं में श्रम घटक की लागत का आंकलन किया गया, वहाँ संविदा श्रमिक की लागत का आकलन विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत प्रदान की गई वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में शामिल लागतों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 463 संविदाओं में से 190 संविदाओं के मामले में, संविदा के क्रियान्वन के लिए श्रमिकों की संख्या को शामिल किया गया। इनमें से 108 संविदाओं के, अनुमान में श्रम घटक का अलग से आंकलन किया गया था और 82 संविदाओं में अनुमानों में श्रम घटक का अलग से आंकलन नहीं किया गया था। 108 संविदाओं में से, जहां अनुमान में श्रम घटक को अलग से शामिल किया गया था, 71 संविदाओं में श्रम घटक का आकलन में ₹12 करोड[72] कम पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा श्रम घटक का आंकलन संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार श्रम की लागत के आधार पर किया गया।

**अनुबंध 5.1 और 5.2**

**इस प्रकार, जहाँ श्रम घटक का अलग से आकलन किया गया, रेलवे ने संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,**

[72]लेखापरीक्षा द्वारा रूपये 66.36 करोड आंकलन किया गया जबकि रेलवे प्रशासन द्वारा रूपये 54.36 करोड आंकलन किया गया।

**कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत 108 संविदाओं में से 71 में वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमानों को तैयार नहीं किए। न्यूनतम मजदूरी और अन्य सांविधिक श्रम लाभों का भुगतान/ भुगतान न होने के परिणाम स्वरूप संविदा श्रमिकों के शोषण का ज़ोखिम काफी अधिक था।**

वैधानिक कानूनों के अनुपालन में शामिल लागतों और भुगतानों को ध्यान में रखते हुए लागत अनुमान तैयार करने के मुद्धे पर चर्चा करते हुए, एक्ज़िट सम्मेलन के दौरान (जनवरी 2018) रेलवे बोर्ड ने कहा कि कभी-कभी लागत अनुमानों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने में बाधाएं होती हैं, क्योंकि भुगतान, किये गये काम की वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाता है न कि श्रम की संख्या के आधार पर। लेखापरीक्षा ने जोर दिया कि मजदूरी के संबंध में सभी वैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम लागत अनुमानों सही ढंग से बनाना है।

## 5.2 मूल नियोक्ता और ठेकेदारों द्वारा सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का प्रभाव

**5.2.1** रेलवे संरचनाओं में चयनित ₹873.40 करोड़ मूल्य के 463 संविदाओं में से, ₹224.30 करोड़ की 151 संविदाओं के मामलों में लेखापरीक्षा क्षेत्र में सीमाएं रही, क्योंकि लेखापरीक्षा को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ₹649.10 करोड़ मूल्य के शेष 312 संविदाओं में 8998 संविदा श्रमिक शामिल थे, जिनमें से ₹408.20 करोड़ मूल्य के 210 संविदाओं में शामिल 6366 संविदा श्रमिकों पर विपरीत वित्तीय प्रभाव पड़ा। जबकि ₹240.88 करोड़ मूल्य के 102 संविदाओं में शामिल 2632 श्रमिकों पर श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा को श्रमिकों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पाया गया।

प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा के संबंध में, लेखापरीक्षा ने 210 समीक्षा किये गये संविदाओं में 6366 संविदा श्रमिकों पर ₹26.14 करोड़ के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया। इसमें क्रमशः संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुपालन न करने के कारण क्रमशः ₹20.78 करोड़, ₹4.41 करोड़ और ₹0.95 करोड़ की राशि शामिल थे। यह 312 संविदाओं में मूल्य का 4.02 प्रतिशत था।

**5.2.2** प्राथमिक इकाई 32 संविदात्मक भुगतान के आंकड़े को दर्शाता हैं और प्राथमिक इकाई 32 के तहत दर्ज किए गए व्यय विभिन्न राजस्व अनुदानों के तहत संविदात्मक भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह देखा गया था कि 2016-17 के दौरान, राजस्व अनुदान के तहत कुल भुगतान ₹5806.63 करोड़ रूपये था।

इसी तरह, पूंजी अनुदानों के तहत संविदात्मक भुगतानों के लिए आंकड़ा प्राथमिक इकाई 03 को दर्शाता है। तथापि, ये आंकड़े रेलवे बोर्ड स्तर पर तैयार नही किए जाते हैं। 2016-17 के दौरान उत्तर मध्य रेलवे में कुल व्यय (अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों को छोड़कर) में संविदात्मक भुगतान 28.54 प्रतिशत था। मानदंड के रूप में 28.54 प्रतिशत लेते हुए, पूंजीगत व्यय (2016-17 के दौरान ₹102632.65 करोड़) में संविदात्मक भुगतान का हिस्सा ₹29291.35 करोड़[73] निकाला गया।

**तालिका 5.1 - 2016-17 के दौरान भारतीय रेलवे पर राजस्व और पूंजी अनुदान के तहत संविदात्मक भुगतान**

| अनुदान का प्रकार | अनुदान संख्या | 2016-17 के दौरान प्राथमिक इकाई 32 के तहत व्यय (करोड़ रूपये में) |
|---|---|---|
| **राजस्व** | 3 | 53.55 |
| **राजस्व** | 4 | 2160.88 |
| **राजस्व** | 5 | 165.10 |
| **राजस्व** | 6 | 416.00 |
| **राजस्व** | 7 | 490.73 |
| **राजस्व** | 8 | 816.54 |
| **राजस्व** | 9 | 395.73 |
| **राजस्व** | 10 | 0 |
| **राजस्व** | 11 | 838.40 |
| **राजस्व** | 12 | 469.70 |
| **पूंजी** | 16 | 29291.35 |

*स्रोत-रेलवे मंत्रालय के अनुदान की मांग*

**तालिका 5.2 – भारतीय रेलवे में संविदा श्रमिक पर प्रतिकूल प्रभाव की गणना**

| | |
|---|---|
| **कुल राजस्व अनुदान** | ₹ 5806.63 करोड़ |
| **कुल पूंजी अनुदान संख्या 16 (अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को छोडकर) का 28.54 प्रतिशत** | ₹ 29291.35 करोड़ |
| **कुल** | ₹ 35098 करोड़ |
| **₹35098 करोड़ के 4.02 प्रतिशत यानी ₹1410.94 करोड़** | |

[73]रूपये 102632.65 करोड का 28.54 प्रतिशत।

इस प्रकार, 2016-17 के दौरान, भारतीय रेलवे ने लगभग ₹35,098 करोड़ रूपये का संविदात्मक भुगतान किया। 312 संविदाओं में लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित संविदा श्रम पर प्रतिकूल प्रभाव का कुल संविदात्मक भुगतान का 4.02 प्रतिशत निकाला गया। भारतीय रेलवे में संविदात्मक भुगतानों पर अनुमानित प्रतिकूल प्रभाव इस प्रकार ₹35,098 करोड़ रूपये का 4.02 प्रतिशत अर्थात रूपये 1410.94 करोड़ होगा। चूंकि, भारतीय रेलवे ने 2016-17 के दौरान ₹35,000 करोड़ से अधिक का संविदात्मक भुगतान किया, इस प्रकार से प्रभावित संविदा श्रमिकों की संख्या काफी अधिक होगी।